

Order Sheet (Subsequent)

Number of Case

CNR NUMBER

Versus

Year

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes
08 01/23	<p>आज श्रीमान ए सी एम. / एस. डी. एम. साहब को उपस्थित पर हैं। पेशी इल्लबा को जाकर पत्रावली नारीख 01/01/23 को पेश हो।</p>	
09 2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जहाँ उपाय वकील जहाँ बहर हेतु समय चाहेत है। बहर हेतु शान्ति अखरत के जाकर मिलन केमंड 18/10/23 को पेश हो।</p>	
18 03	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जहाँ उपाय वकील जहाँ बहर हेतु समय चाहेत है बहर हेतु on last 20/1/23 अखरत के जाकर जाकर मिलन केमंड 18/12/23 को पेश हो।</p>	
18 12	<p>आज श्रीमान ए सी एम. / एस. डी. एम. साहब को उपस्थित पर हैं। पेशी इल्लबा को जाकर पत्रावली नारीख 18/12/23 को पेश हो।</p>	
19 02 2024	<p>आज श्रीमान ए सी एम. / एस. डी. एम. साहब को उपस्थित पर हैं। पेशी इल्लबा को जाकर पत्रावली नारीख 21/02/24 पेश हो।</p>	
24 04 2024	<p>आज श्रीमान ए सी एम. / एस. डी. एम. साहब को उपस्थित पर हैं। पेशी इल्लबा को जाकर पत्रावली नारीख 21/04/24 को पेश हो।</p>	
21 06 2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जहाँ उपाय वकील जहाँ बहर सुनी गई। पत्रावली बहर आवेत केमंड 01/07/24 को पेश हो।</p>	
01 07 2024	<p>आज श्रीमान ए सी एम. / एस. डी. एम. साहब को उपस्थित पर हैं। पेशी इल्लबा को जाकर पत्रावली नारीख 21/07/24 को पेश हो।</p>	

21/10/24

पत्रावली आज पेश हुई। वकील जहाँ उपाय वकील
वकील जहाँ उपाय वकील की बहर सुनी पत्रावली में
उपलब्ध इस्तावेजात एवं वकील जहाँ उपाय वकील की
बहर के आधार पर अस्थायी निवेद्याना के

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER

of at

Kind of the Case

Number of Case Year

Versus

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
--	---------------------------------------

तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय सार्वजनिक प्राप्ति के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्राप्ति का अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 13.10.2019 को जारी अस्थायी निवेद्या को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली कैबल शुमार होकर रजि नम्बर से कम होकर बाइ तस्वील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।



A. S.
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)